पत्रावली वाले जवाब ...

को पेश होवे।

SDO

24.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा.पत्र प्रस्तुत किया। शामिल पत्रावली होवे। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। मौके एवं रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर वाद विविधता बढ़ेगी। अतः दोनो पक्षों को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौजा खीरखाईयां में स्थित वादग्रस्त भूमि में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा